न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 49/2018

पीठासीन अधिकारी

करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 कमला स्त्री धारासिंह जाति जाट निवासी चीमा का बास तहसील सुरजगढ़ हाल निवासी महराना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 मनीष कुमार पुत्र प्रहलाद।

2 सुमेरसिंह पुत्र प्रहलाद।

3 सुमित्रा पुत्री प्रहलाद।

4 शकुन्तला पुत्री प्रहलाद

5 श्यामकोरी स्त्री रोहिताश्व।

6 नीतु कुमारी पुत्री रोहिताश्व।

7 प्रदीप पुत्र रोहिताश्व।

8 सुबेसिंह पुत्र चन्दगीराम समस्त जाति जाट निवासी महराना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

9 पंजाब नेशनल बैंक शाखा सिघांना जरिये शाखा प्रबंधक।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

10 राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा गाडाखेडा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

11 भूमिधारी तहसीलदार बुहाना जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 11.05.2018 बअदालत उपखण्ड अधिकारी एवं प्देन सहायक कलेक्टर बुहाना मुकदमा उनवानी मनीष कुमार वगैरह बनाम कमला देवी वगैरह मु.न. 08/2018 अन्तर्गत धारा 251क राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित

1. श्री राजेश पूनियां अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश बागोरिया अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः–25.09.2018

भूअबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूँ)

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 08/2018 में पारित निर्णय दिनांक 11.05.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या 1 से 7 ने भूमि खसरा नम्बर 522 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 520 की पूर्वी सीमा के सहारे सहारे 6 फिट चौडाई का रास्ता मांगकर धारा 251 ए में पार्थना पत्र प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकर किया है। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमों के कथनों को दोहराते हुये तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट ने जवाब के साथ नजरी नक्शा लगाया है। जिसमें निकटतम कटानी रास्ता खसरा नम्बर 671/521 व 679/521 में से होना अंकित किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 69 में आई.एल.आर. से निचे का अधिकारी रिपोर्ट नही बना सकता है प्रकरण में पटवारी रिपोर्ट बनाकर लाया है विचारण न्यायालय में आदेशिका से स्पष्ट है कि 11.05.2018 को उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित नही हुये। विचारण न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विरूद्व है अपील स्वीकार की जायें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांट ने स्वंय ने नक्शा बनाया है। जिसमें कोई वैकल्पिक रास्ता नही है मौका रिपोर्ट आई. एल.आर की है मौका रिपोर्ट के अनुसार रास्ता मांगा गया है और दिया गया है। वैकल्पिक रास्ता नही है विचारण न्यायालय द्वारा दिये गये रास्ते की आत्यान्तिक आवश्कता है विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है अपील खारिज की जाये।

भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूँ)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में अपीलांट ने अपना जवाब प्रस्तुत किया है विचारण न्यायालय में अपीलांट को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देकर निर्णय पारित किया गया है। विचारण न्यायालय ने आई.एल.आर से रिपोर्ट प्राप्त कर रिपोर्ट के आधार पर आत्यान्तिक आवश्यकता मानते हुये, वैकल्पिक रास्ता नही होने की स्थिति में बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए में समरी प्रोसिंडिग्स होती है विचारण न्यायालय ने प्रकिया का एवं विधि की पालना कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है जिसमें हम कोई विधिक त्रुटि नही पाते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 25.09.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

25/9/18

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर